

## बिहार लोक सेवा आयोग

15. जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.- 08/2018, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना में सहायक के कुल 51 (इक्यावन) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 51 (इक्यावन) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षेत्रिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	30	11
2.	अनुसूचित जाति	06	02
3.	अनुसूचित जनजाति	01	00
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	02
5.	पिछड़ा वर्ग	06	02
6.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	01	00
	<b>कुल</b>	<b>51</b>	<b>17</b>

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हे केंद्र द्वारा पेशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	01
----	--	----

3. विकलांगता अधिनियम-1995 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या	
(i) दृष्टि विधित (VI)	00
(ii) मूक विधि (DD)	01
(iii) अस्थि विकलांग (OH)	01
(iv) मनोविकार	00

### 2. वेतनमान:-वेतन स्तर-7 (44900–142400/-)

3. शैक्षणिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्रीधारक होना अनिवार्य है।
4. उम्र सीमा - दिनांक- 01.08.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।
- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक- 01.08.2013 से 01.08.2018 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अर्थात उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहतांक पूरी करते हों।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 06 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. चयन प्रक्रिया:- परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चयन में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समस्य आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की रिथ्ति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

नोट:- इस परीक्षा के लिए प्राप्त आवेदनों की संविधान के बाद यदि आवेदन पत्रों की संख्या 40,000 (चालीस हजार) से कम होगी तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिए जाने के संबंध में आयोग विचार करेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

### A. प्रारंभिक परीक्षा:-

- (i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-
- (क) सामान्य अध्ययन- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।

(ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(iii) सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।

(iv) प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी जिसका पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा:-

खण्ड (क)- सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जीवंत करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के सम्बन्ध में यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

(i) सम-सामान्यिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का सविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचायतीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।

खण्ड (ख)- सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक रस्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं-

(i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।

(ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न-संख्याओं के बीच परस्पर संबंध मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, व्याज एवं लाभ और हानि।

खण्ड (ग)- मानसिक क्षमता जाँच:- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

सांख्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या शृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

B. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक- 16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक- 01.10.2008 के आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छठीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अंतरांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

### C. मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे:-

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय- सामान्य हिन्दी

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) हिन्दी विषय में अंतरांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोगजन्म इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (प्रश्नपत्र-2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या- 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2: विषय- सामान्य ज्ञान

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-

(क) सामान्य अध्ययन- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच - प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(iii) प्रश्न पत्र-2 हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

- D. प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कमचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से बचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपारता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

#### E. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

##### प्रश्न पत्र-1 : विषय-सामान्य हिन्दी

इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक (सेकेन्डरी) स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न, हिन्दी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोधशक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे। जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द/विपरीतार्थक शब्द, हिन्दी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे।

##### प्रश्न पत्र-2 : विषय-सामान्य ज्ञान

- खण्ड (क):- सामान्य अध्ययन:-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक वृद्धिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित विषयों से सम्बंधित यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

(i) सम-सामर्थिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।

**खण्ड (ख):-सामान्य विज्ञान एवं गणित:-** इसमें सामान्यतः भौतिक रूप से सम्भव विषयों से सम्बंधित यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं-

(i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, स्तरायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।

(ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, व्याज एवं लाभ और हानि।

**खण्ड (ग):-मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संघं अवधारणा, अंक गणितीय तरं शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

**F. मेधा सूची- प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिकितयों की दस गुनी अथवा प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित कुल उम्मीदवारों के दस प्रतिशत होगी। इस संघं में आयोग का निर्णय अंतिम रूप से मात्र होगा। मुख्य परीक्षा के प्रारंभिक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।**

#### 6. आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिए गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (जोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ी वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ी वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास

अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (जोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मात्र होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय से स्तरापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संघं में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मात्र होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है:-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ी वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ी वर्ग (BC)	05

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ननीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीयों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/ननीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोल्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

#### 7. शुल्क:-

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थीयों एवं राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए 150/- (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 600/- (छ. सौ) रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अंतरिक्ष परिमाण वैकं द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में वैकं द्वारा खत: वैकं चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित वैकं रसीद को प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैकं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थीयों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थीयों जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भवित्व विभेद के अन्यांश द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यांश प्रस्तुत होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनीहत किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थीयों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थीयों को इस संदर्भ में संचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थीयों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थीता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

**8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)**

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	31.10.2018 से 20.11.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	23.11.2018 तक
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	30.11.2018 तक

**नोट-1:** जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

**नोट-2:** जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक- 23.11.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुरक्षित अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि को लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डेश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्फैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में समिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अंतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अंतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

**9. महत्वपूर्ण निर्देश :-**

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को समिलित करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डेशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी/आवेदक को प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

10. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाचित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

25/10/16

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।